

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 29/09/2023

क्रमांक 2032 / 1226 / 2022 / 20-2::विभागीय आदेश क. एफ 44-13 / 2018 / 20-2, दिनांक 03.10.2018 द्वारा अतिथि शिक्षकों हेतु मानदेय निर्धारित किया गया था।

2/ मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 3 दिनांक 09 सितम्बर 2023 में पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से अपास्त करते हुए अतिथि शिक्षकों को प्राप्त मानदेय में वृद्धि कर निम्नानुसार मासिक मानदेय निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र०	अतिथि शिक्षक श्रेणी	निर्धारित मासिक मानदेय
1	2	3
1.	अतिथि शिक्षक वर्ग-1	18,000 / -
2.	अतिथि शिक्षक वर्ग-2	14,000 / -
3.	अतिथि शिक्षक वर्ग-3	10,000 / -

3/ उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(प्रमोद सिंह)
29/9/2023
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 29/09/2023


पृ० क्रमांक 2033 / 1226 / 2022 / 20-2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल

निरंतर..2..

5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
10. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. आर्डर बुक


29/9/2023

उप सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

::आरती दुबे::